न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 12/2016

बउनवान

बृजमोहन पुत्र ग्यारसीलाल आयु 58 साल जाति–नाथ निवासी–सांखली तहसील–बारां जिला–बारां (राज0) **(अपीलांट)**

बनाम

1– कन्हैयालाल पुत्र ग्यारसीनाथ जाति–नाथ निवासी–सांखली तह.बारां
2– शिवराज पुत्र ग्यारसीनाथ जाति–नाथ निवासी–सांखली तह.बारां
3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट्स)**

अपील बनाराजगी तहसीलदार–बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 343 दिनांक 24.02.2013 वाके ग्राम सांखली अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री बृजकिशोर शर्मा, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. श्री नरेन्द्र सिंह हाडा,अभिभाषक **(रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2)**

निर्णय दिनांक– 26.09.2019

1– अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम सांखली तहसील–बारां मे आराजी खसरा नम्बर 575, 582, 596 व 643 कुल 4 किता रकबा 0.48 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 9, 13 कुल 2 किता रकबा 4.77 हैक्टयर खातेदार श्री ग्यारसीलाल पुत्र नाथूलाल जाति–नाथ के खाते दर्ज थी, जिनका देहान्त दिनांक 15.09.2012 को गया है। उनकी मृत्युपरान्त दिनांक 24.01.2013 को हल्का पटवारी/ जॉच आई.एल.आर एवं प्रमाणित सजरा ग्राम पंचायत के आधार पर तहसीलदार, बारां द्वारा मृतक ग्यारसीलाल के वारिसान् के नाम इन्तकाल तस्दीक कर राजस्व रेकार्ड में बृजमोहन अपीलांट व रेस्पोडेंट कन्हैयालाल, शिवराज पुत्रगण व प्रेमबाई पुत्री पत्नी हरलाल वारिसान् के रूप में अंकित किये गये है। जिसमें प्रेमबाई पुत्री का स्वर्गवास वर्ष 2006 में हीं हो चुका था, उनका नाम भी मृतक ग्यारसीलाल के वारिस के रूप में दर्ज कर दिया गया है जो कतई गैरकानूनी है। मृतक प्रेमबाई का देहान्त ग्यारसीलाल से पूर्व हीं हो चुका था। काननून मृतका प्रेमबाई के नाम नामान्तकरण स्वीकार किया जाना कतई गैरकानूनी है तथा विधिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, इन्तकाल नं0 343 दिनांक 24.01.2013 निरस्त फरमाया जावे।

2– इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट्स को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख प्रति प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेंट्स क्रम 1 व 2 की बहस सुनी गयी।

3— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट्स के पिता श्री ग्यारसीलाल जी के खातेदारी में ग्राम सांखली तहसील—बारां में खाता संख्या 22 मे आराजी खसरा नम्बर 9, 13 कुल 2 किता रकबा 4.77 हैक्टयर व खाता संख्या 20 में खसरा नम्बर 575, 582, 596 व 643 कुल 4 किता रकबा 0.48 हैक्टयर अवस्थित है। उनके पिता का देहान्त दिनांक 15. 09.2012 को होने पर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा फौती इन्तकाल विरासतन दिनांक 24.01.2013 को तस्दीक किया गया है, जिसमें अपीलांट व रेस्पोडेंट वारिसान् के साथ—साथ पुत्री प्रेमबाई का नाम भी दर्ज कर दिया है। जबकि प्रेमबाई पुत्री की मृत्यु पिता की मृत्यु के पहले दिनांक 05.05.2006 को लगभग 6 वर्ष पूर्व हीं हो चुकी है। काननून पिता के पहले पुत्री की मृत्यु होने से, पुत्री का नाम वारिसतन इन्तकाल में दर्ज करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुत्री प्रेमबाई का नाम इन्तकाल नं0 343 में अपीलांट व रेस्पोडेंट के साथ दर्ज करने में भारी कानूनी व वैधानिक त्रुटि की गयी है, जो विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीकी विरासतन फौती इन्तकाल संख्या 343 दिनांक 24.01.2013 निरस्त फरमाया जाकर, पुत्री प्रेमबाई को छोडकर शेष वारिसान् का पुनः फौती इन्तकाल खोला जावे तथा राजस्व रेकार्ड में उनके नाम अमल करने के तहसीलदार, बारां को आदेश प्रदान किये जावे।

4— इसके विपरीत रेस्पों0 अभिभाषक ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का समर्थन व्यक्त करते हुये निवेदन किया कि उनके पिता श्री ग्यारसीलाल जी की मृत्युउपरान्त फौती इन्तकाल खोला गया है, जिसमें पुत्री प्रेमबाई का नाम भी दर्ज हो गया है, जबकि प्रेमबाई की मृत्यु पिता की मृत्यु के पूर्व हीं हो चुकी है। इसलिये प्रेमबाई का नाम इन्तकाल में से निरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः पुत्री का नाम इन्तकाल से विलोपित या हटाने में उन्हे कोई आपत्ति नहीं है।

5 — हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जिससे पाया जाता है कि खातेदार ग्यारसीलाल पुत्र नाथू कोम नाथ नि. सा.देह के ग्राम सांकली तहसील—बारां में खाता संख्या 22 मे आराजी खसरा नम्बर 9, 13 कुल 2 किता रकबा 4.77 हैक्टयर व खाता संख्या 20 में खसरा नम्बर 575, 582, 596 व 643 कुल 4 किता रकबा 0.48 हैक्टयर अवस्थित है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा खातेदार ग्यारसीलाल की मृत्यु होने पर विरासतन फौती इन्तकाल संख्या 343 दिनांक 24.01.2013 को खोला गया है। अपील में अपीलांट के मुख्य तर्क रहा है कि उक्त इन्तकाल में मृतक की पुत्री प्रेमबाई का गलत दर्ज गया है, मृतका की मृत्यु पिता की मृत्यु से पूर्व हीं हो चुकी है। काननून उसका नाम विरासतन इन्तकाल में दर्ज करने का प्रावधान नहीं है। अपीलांट अभिभाषक का उक्त कथन उचित प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना वंशवृक्ष की जॉच पडताल किये तथा कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर, विरासतन फौती इन्तकाल तस्दीक किया गया है जो विधि सम्मत नहीं होने से, निरस्त किया जाकर, पुनः वैधानिक वारिसान् के नाम इन्तकाल दर्ज किया जाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल संख्या 343 दिनांक 24.01.2013 वाके ग्राम सांकली तहसील—बारां निरस्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि मृतक ग्यारसीलाल पुत्र नाथू जाति—नाथ सा.देह के वैधानिक वारिसान्/पक्षकारान् को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, पेरा—5 में उल्लेखित तथ्यों के सम्प्रेषण में विधिवत जॉच कर, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 एवं प्रचलित कानूनी प्रावधानों के अनुरूप प्रकरण का परीक्षण कर, विधि सम्मत वारिसान् के नाम विरासतन फौती इन्तकाल तस्दीक किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2019.10.24 11:45:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: